



पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18-07-2021

दिनांक 17/18-07-2021 को रात्रि थाना गोमतीनगर 01, चिनहट 05, सरोजनीनगर 05, अलीगंज 02, आटियाना 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार

थाना आलमबाग:-दिनांक 17-07-2021 को एस0आई0 श्री संदीप कुमार ञार्मा थाना आलमबाग द्वारा अभियुक्त 01-पवन कुमार पुत्र रामकुमार निवासी म0नं0-551ख/5 सरदारी खेड़ा कुरियाना थाना आलमबाग लखनऊ 02-साजिद अहमद पुत्र अबरार अहमद निवासी बाग नं0-03 आजादनगर थाना सरोजनीनगर लखनऊ 03-कुंदन सिंह बिस्ट पुत्र स्व0 किटान सिंह बिस्ट निवासी एम-2/24 कैनाल कालोनी उदयगंज थाना हुसैनगंज लखनऊ 04-रणधीर सिंह पुत्र अम्बिका सिंह निवासी म0नं0-551ग/99 सरदारीखेड़ा थाना आलमबाग लखनऊ को रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते समय सार्वजनिक स्थान बस स्टैण्ड के पीछे आलमबाग से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 पन्ने पर लिखी हुई सट्टा पर्ची व 2740/-रूपये बरामद कर थाना आलमबाग पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना बंधरा:-दिनांक 18-07-2021 को थाना बंधरा द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 18-07-2021 को वादी श्री टिव ञंकर पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम गोड़वा मजरां रहीमनगर पड़ियाना थाना बंधरा लखनऊ ने थाना बंधरा पर सूचना दिया आज दिनांक 17/18-07-2021 की रात्रि को समय करीब 01.00 बजे वादी के घर की छत के रास्ते वादी के घर में आये अज्ञात चोरो द्वारा वादी व वादी के सगे भाई रवि ञंकर निवासी उपरोक्त के घर से जेवरात व 20 हजार रूपये नकदी को चोरी कर लिया। इस सूचना पर थाना बंधरा पर मु0अ0सं0 230/2021 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजेटा कुमार मिश्रा थाना बंधरा द्वारा की जा रही है, जिनके द्वारा बताया गया कि वादी मजदूरी करते हैं।

थाना कैण्टः-दिनांक 18-07-2021 को थाना कैण्ट द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 18-07-2021 को श्री राज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद निवासी-205 बनिया मोहाल सदर थाना कैण्ट लखनऊ ने थाना कैण्ट पर सूचना दिया कि दिनांक 17-07-2021 की रात्रि को उसका पुत्र टिवा कुमार गुप्ता उम्र करीब 32 वर्ष अपने कमरे में सोने चला गया था, आज दिनांक 18-07-2021 को प्रातः 09.30 उसका पुत्र देर तक नहीं उठा तो कमरे के बाहर से आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया न होने पर उसके द्वारा दरवाजा पर धक्का देकर खोला गया तो देखा कि उसके पुत्र टिवा गुप्ता ने कमरे की छत में लगे पंखे में कपड़े का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर एस0आई0 श्री सर्वेन्द्र कुमार यादव मो0न0 9410044540 थाना कैण्ट द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक विवाहित था, मृतक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था।